संं0-8/2016/646/तीन-2016-5(1)/04टीसी-2

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुरनगर/गाजीपुर।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 27 अगस्त 2016

विषय : अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत किये गये उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एकमुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2487/तीन-5(9)/85-सा0प्र0अनु0, दिनांक 07 जुलाई, 1987 एवं शासनादेश संख्या-वी0आई0पी0-111/तीन-98-5(14)/97-सा0प्र0अनु0 दिनांक 06 मई 1999 तथा शासनादेश संख्या-2028(1)/तीन-2008-5(1)/2004 दिनांक 21 सितम्बर 2008 के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत विभूषित उत्तर प्रदेश के नागरिक श्रीमती शालिनी सिंह भदौरिया पत्नी शहीद मेजर अवनीश सिंह भदौरिया को कुल रू0 9,27,100/- श्रीमती सरोज सिंह पत्नी शहीद शिवाजी सिंह को 1,50,000/- श्री पशुपति नाथ राय को 1,50,000/- तथा श्रीमती प्रियंका राय पत्नी शहीद कर्नल मुनिन्द्र नाथ राय को 11,00,000/- उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि सहित कुल रू0 23,27,100/- (रू0 तेईस लाख सत्ताईस हजार एक सौ मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0	अलंकृत व्यक्ति का नाम एवं पदनाम	अलंकरण/पुरस्कार का नाम तथा प्रदान किये जाने की तिथि	अलंकृत व्यक्ति के स्थायी निवास का पता	राज्य सरकार से अनुमन्य धनराशि/एकमुश्त/वार्षि की एवं संगत वित्तीय वर्ष	धनराशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शालिनी सिंह भदौरिया पत्नी शहीद	कीर्ति चक्र 28 सितम्बर 2001	फ्लैट नं0-डी-324 विजय	एकमुश्त धनराशि 25,000/- एवं वि त्तीय वर्ष 2001 से वर्ष 2007	श्रीमती शालिनी सिंह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

	मेजर अवनीश सिंह भदौरिया		वीर, आवास योजना कारिगल अपार्टमेन्ट सेक्टर 18 ए द्वारिका नई दिल्ली।	तक 300 की वार्षिकी की दर से (300×7)=2100 तथा वि त्तीय वर्ष 2008-09 से 2016-17 तक 1,00,000 वार्षिकी की दर से (1,00,000 × 9)=9,00,000/- अर्थात कुल धनराशि 25,000+2100+9,00,000=9,27,100/- (रू0 नौ लाख सत्ताईस हजार एक सौ मात्र)	भदौरिया पत्नी शहीद मेजर अवनीश सिंह भदौरिया
2	श्रीमती सरोज सिंह पत्नी शहीद शिवाजी सिंह	शौर्य चक्र 14 जुलाई 2006	ग्रा0 त्रिलोकपुर पो0 उतरौली जनपद गाजीपुर पिन कोड-232333	वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 वार्षिकी 50,000 की दर से (50,000×3) कुल 1,50,000/-(रू0 एक लाख पचास हजार मात्र)	श्रीमती सरोज सिंह पत्नी शहीद शिवाजी सिंह
3	श्री पशुपति नाथ राय	शौर्य चक्र 19 जुलाई 1995	ग्रा0 बैरनपुर पो0 देवरिया जनपद गाजीपुर	वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 वार्षिकी 50,000 की दर से (50,000×3) कुल 1,50,000/-(रू0 एक लाख पचास हजार मात्र)	श्री पशुपति नाथ राय
4	श्रीमती प्रियंका राय पत्नी शहीद कर्नल मुनिन्द्र नाथ राय	शौर्य चक्र 15 अगस्त 2015	मोहल्ला-चन्दन नगर कालोनी गाजीपुर, जनपद गाजीपुर-233001	एकमुश्त धनराशि 10,00,000/- वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 की वार्षिकी 50,000/- की दर से (50,000 × 2)=1,00,000/- अर्थात	श्रीमती प्रियंका राय पत्नी शहीद कर्नल मुनिन्द्र नाथ राय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

				कुल धनराशि 11,00,000/- (रू0 ग्यारह लाख मात्र)	
				कुल रू0 23,27,100/- (रू0 तेईस लाख सत्ताईस हजार एक सौ मात्र)	

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखा शीर्षक "2075-विविध सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ0प्र के नागरिकों को नगद पुरस्कार के रूप में एक मुश्त धनराशि-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

3- जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उपर्युक्त समस्त पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं।

4- जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि एकमुश्त/वार्षिकी की धनराशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वार यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रथम उत्तराधिकारी के बैंक खाते की पहचार नियमानुसार करने के उपरान्त इलेक्ट्रॉनिक फन्ड ट्रान्सफर से सही व्यक्ति को समय से वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्दर भुगतान किया जायेगा। यह भी सत्यापित कर लिया जाये कि भुगतान के समय प्रथम उत्तराधिकारी जीवित हो।

5- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित करके उल्लिखित व्यक्ति को भुगतान करा दी जाय तथा कोषागार से आहरण की तिथि तथा बाऊचर संख्या महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद तथा शासन को अविलम्ब उपलब्धकरा दिये जाय। सम्बन्धित जिलाधिकारी स्वीकृत धनराशि हस्तगतकराने से पूर्व सम्बन्धित लाभार्थी का "जीवित प्रमाण-पत्र" प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं तद्नुसार शासन को भी सूचित करेंगे।

6- यह शासनादेश **www.shasanadesh.up.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

भवदीय
(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

संख्या- : **8/2016/646**(1)/तीन-2016 तद्दिनांक।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकर, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, कानपुरनगर/गाजीपुर।
3- संबंधित व्यक्ति/प्राप्तकर्ता।
4- रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, केसरबाग, लखनऊ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

http://sh sanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Allotment Object Wise Report

सामान्य प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या: 84 - सामान्य प्रशासन विभाग

लेखाशीर्षक: 2075008000300 - अशोक चक्र श्रृखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ. प्र. के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एक मुश्त धनराशि

मानक मद: 42 - अन्य व्यय **वित्तीय वर्ष:** 2015-2016 **(धनराशि रुपये में)**

आवंटन आदेश संख्या	आवंटन तिथि	कोषागार / अधिकारी	आवंटन
001-646	27/08/2016	20 - कानपुर नगर - 4183 - 01 - जिलाधिकारी	927100
011-646	27/08/2016	30 - गाजीपुर - 4183 - 01 - जिलाधिकारी	1400000
योग :			**2327100**

(कृष्ण दयाल वर्मा)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।